



Govt. Engineering College Ajmer (estd. 1997)

(An autonomous institute of Govt. of Rajasthan)

Tel No. 0145-2971024

www.ecajmer.ac.in




Right To Information Act 2005

राअमअ/आर.टी.आई./2019/ 256

दिनांक: 07/08/19


कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत समस्त विभागाध्यक्ष/सेक्शन ईचार्ज को निर्देशित किया जाता है आपको अग्रेषित आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र में अपिलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का प्रतिउत्तर पत्र के माध्यम से ही महाविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अपिलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की मूल भावना के अनुरूप जवाब दिया जा सके।


प्रचार्य एवं
प्रथम अपील अधिकारी

प्रतिलिपि:- 21/08/19 | आर.टी.आई. 3216-3216

1. समस्त विभागाध्यक्ष/सेक्शन ईचार्ज को पालनार्थ
2. संस्थापन शाखा
3. लेखा शाखा
4. रक्षित पत्रावली


लोक सूचना अधिकारी
एवं कुलसचिव